

Q286

<http://labour.mp.gov.in/Default.aspx>

श्रम सेवा पोर्टल
श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन

होम पेज | कौन कहीं | सामान्य प्रश्न | सहायता केंद्र

श्रमायुक्त कार्यालय | मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | श्रम कल्याण मंडल | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा | संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ

Welcome to E-Governance Portal of Madhya Pradesh Government, Labour Department

स्टार्ट-अप सेक्टर की इकाईयों को श्रम कानूनों के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश। **new**

श्रम विभागीय सेवाओं को मोबाइल एप- "एप- श्रम सेवा एप" के माध्यम से नागरिकों को आगामी गणतंत्र दिवस से उपलब्ध कराने विषयक। **new**

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस (सिंगल विंडो)

- प्रमुख श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीयन/अनुज्ञप्तियों
- आवेदन शुल्क जमा करने की विधि
- स्व-प्रमाणीकरण योजना (VCS)

मज्जीठिया वेतन बोर्ड की अनुशंसाएं

- क्रियान्वयन की स्थिति
- मज्जीठिया वेतन बोर्ड – मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

ऑनलाइन सेवाएं

- दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक स्थापनाएँ
- कारखाना अधिनियम अंतर्गत सेवाएँ
- ठेका श्रम अधिनियम अंतर्गत प्रमुख नियोजक **show**

http://labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx

r.mp.gov.in/LabourC x Google x Google x Search x Search

labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx

(द) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996
(i) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत स्थापनाओं का पंजीयन

(इ) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979
(i) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति

(फ) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
(i) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 स्थापना का पंजीयन

II. आवेदन शुल्क जमा करने की विधि

(i) साईबर ट्रेजरी के माध्यम से:- साईबर ट्रेजरी वेबसाईट पर जाये, 'Other Departments' बटन पर क्लिक करें एवं 'Departments' के अन्तर्गत 'Labour' का चयन करें। अन्य संबंधित जानकारी भरे! नेटबैंकिंग अथवा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से शुल्क जमा करें। ट्रेजरी वेबसाईट द्वारा जनित चालान को सेव कर उसका प्रिंट प्राप्त करें। अब, चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।
(ii) बैंक चालान के माध्यम से:- किसी भी भारतीय स्टेट बैंक शाखा में शुल्क जमा करे तथा चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।

III. स्व-प्रमाणीकरण योजना (VCS)

(i) स्व-प्रमाणीकरण योजना (मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना)
(ii) स्व-प्रमाणीकरण योजना में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र

IV. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण

(i) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जांच सूची
(ii) श्रम निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप
(iii) श्रम आयुक्त द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जारी किये गये नवीनतम दिशा निर्देश
(iv) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन के निरीक्षण संशोधन तथा संशोधन सहित नवीनीकरण के प्रकरणों के संबंध में स्थल निरीक्षण द्वारा भौतिक सत्यापन के संबंध में निर्देश।श
(v) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा जारी किए गये नवीनतम दिशा-निर्देश
(vi) कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश कारखाना नियम 1962 के अंतर्गत तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन एवं निरीक्षण के प्रावधान।

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=81

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=81

Madhya Pradesh Labour Portal
Madhya Pradesh Government, Labour Department

Form Details: Inspection Guidelines

Form No :	Inspection	Form Title :	Inspection Guidelines
Form Type :	Inspection Guidelines	Form For :	Public
Form Details :	Inspection Guidelines	Download Link	Download attachment View attachment

(3) **मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958**

(i) स्थापना का पंजीयन अधिनियम की धारा 6 (2) नियम 3 (1) तथा नवीनीकरण की धारा 6 (5) नियम 5 (1) के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जावें।

(ii) दुकान एवं स्थापना जहां श्रमिक नियोजित है, उन्हें सप्ताह में एक दिन नियोजक द्वारा साप्ताहिक अवकाश धारा 13, 18 एवं 23 के अन्तर्गत दिलाया जाना सुनिश्चित करना।

(iii) दुकान एवं स्थापना, होटल, रेस्टोरेन्ट, मल्टीप्लेक्स में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अधिनियम की धारा 11, 18 एवं 21 के अन्तर्गत कार्य के घण्टों बाबद जांच की जावें।

(iv) धारा 26 नियम 13 (2) के अन्तर्गत कर्मचारियों को 14 आकस्मिक अवकाश एवं 30 विशेष अधिकार अवकाश का पालन सुनिश्चित कराया जावें।

(v) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत नियम 1959 की धारा 54 नियम 20 अनुसार निर्धारित पंजी प्रपत्र एन नियोजक द्वारा संधारित करना सुनिश्चित कराया जावें।

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms

Form No :	EoDB/InspectionNote	Form Title :	Format of Inspection Note prepared by Labour Inspector
Form Type :	Format of Inspection Note	Form For :	Public
Form Details :	Format of Inspection Note prepared by Labour Inspectors	Download Link	Download attachment View attachment

001 **01**

निरीक्षक का नाम - निरीक्षण दिनांक

अधिनियम का नाम :- **मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958** समय :..... स्थान :.....

स्थापना/संस्थान का नाम एवं पता :-

पंजीयन/अनुज्ञप्ति क्रमांक :-..... कार्य का स्वरूप :-

नियोजक/ठेकेदार का नाम एवं पता:-

प्रमुख नियोजक का नाम एवं पता:-.....

नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या पुरुष :..... महिला :..... योग :.....

उक्त संस्थान/कारखाने/ठेका कार्य का निरीक्षण श्री

पद की उपस्थिति में किया गया एवं निम्न टीप अंकित की गई :-

स्थापना वर्ष से प्रारंभ की गयी तथा श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत पाये गये। निरीक्षण में पाया कि-

1. धारा 6 (2) के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीयन कराया गया। - हों/नहीं
2. पंजीयन प्रमाण पत्र धारा 6 (3) सहगोचर स्थान पर प्रदर्शित पाया। - हों/नहीं
3. पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण धारा 6(5) नियम 5(1) वर्ष हेतु कराया गया। - हों/नहीं
4. पंजीयन प्रमाण पत्र में समयावधि में परिवर्तन धारा 7 नियम 7 के तहत कराया गया। - हों/नहीं
5. स्थापना में कार्यरत श्रमिक/कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश। धारा 13, 18, 23 के तहत किया गया। - हों/नहीं
6. कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमानुसार 14 आकस्मिक अवकाश/30 अर्जित अवकाश दिया गया। (धारा 26 नियम 13) - हों/नहीं
7. कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों से घंटे प्रतिदिन कार्य करवाया गया। (धारा 26 नियम 13 (2)) - हों/नहीं
8. स्थापना में किशोर व्यक्ति से सुबह 7:00 बजे के पूर्व तथा रात्रि 9:00 के पश्चात कार्य लिया गया। (धारा 25) - हों/नहीं
9. स्थापना में 14 वर्ष से कम आयु के बालक से काम किया जाना पाया गया। (धारा 24) - हों/नहीं
10. कार्यस्थल पर धारा 54 के अन्तर्गत निम्नानुसार अभिलेख संधारित किया जाना। - हों/नहीं


http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=391

Circular Details

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=391

25 May 2016, 13:45:10 IST

Portal Home | Login |



Madhya Pradesh Labour Portal

Madhya Pradesh Government, Labour Department

Menu

Home |

Circular Details: Guidelines regarding Inspection of establishments under different Labour Acts during 2016-17

Circular No :	1/17/IX/Enf/2016/7927-95	Circular Date :	10/03/2016
Circular Subject :	Guidelines regarding Inspection of establishments under different Labour Acts during 2016-17	Attached File :	Download Attachment View Attachment
Issued By :	Office of Labour Commissioner	For Whom :	Public

ILVCircular.aspx

1 / 3

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518 न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर-452007
Phone: 0731-2432822, Fax: 0731-2536600

क्रमांक 1/17/नवम/प्रवर्तन/2016/ 7927-95 इन्दौर, दिनांक 10-3-16,
प्रति,

समस्त उप श्रम आयुक्त इन्दौर/भोपाल(म.प्र.)

समस्त संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक (म.प्र.)

समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

विषय- वर्ष 2016-17 के लिए श्रम अधिनियमों में निरीक्षणों के संबंध में दिशा-निर्देश।

श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों के संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुक्रम में निरीक्षणों में पारदर्शिता बनाये रखने तथा सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने और ईज ऑफ ट्रेडिंग नियंत्रण को प्रबलित करने का दिनांक 2016-17 के लिए निरीक्षणों के